

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू,  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
बॉदा।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक : ०५ फरवरी, २०१३

विषय : वर्ष २०१२-१३ में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु अतिरिक्त धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-६६२/दैवी आपदा-शीतलहर दिनांक ११ जनवरी, २०१३ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष २०१२-१३ में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-४०२४/१-१०-२०१०-१४(६३)/२०१०, दिनांक २४ दिसम्बर, २०१० में दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम०एच०ए० पत्र संख्या ३२-७/२०११-एन०डी०एम०-१, दिनांक १६ जनवरी, २०१२ द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड-लाइन के आईटम नं०-३ के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothig medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन /निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु शासनादेश संख्या-२६९०/१-१०-२०१२-१२(३४)/०३टी०सी०-१, दिनांक २६ नवम्बर, २०१२ द्वारा प्रति तहसील कम्बल आदि हेतु रू० ५,००,०००/- व अलाव हेतु रू० ५०,०००/- की धनराशि स्वीकृत करते हुये जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी है।

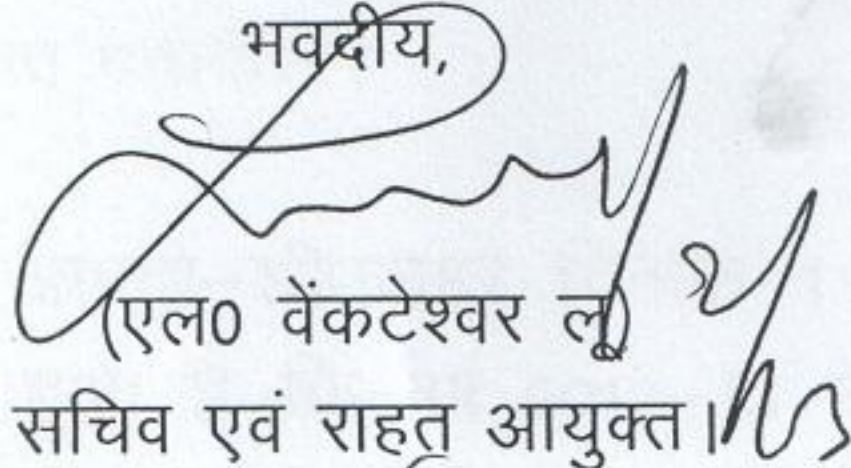
२- उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में शीतलहरी को दृष्टिगत रखते हुये राहत कार्यों हेतु अलाव जलाने की व्यवस्था आदि हेतु आप द्वारा की गयी मांग रुपये १०५०००/- एवं कम्बल आदि मद में <sup>रुपये ११,२५,०००/-</sup> की गयी अतिरिक्त मांग के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रू० १२,३०,०००/- (रुपये बारह लाख तीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

२५

—1—



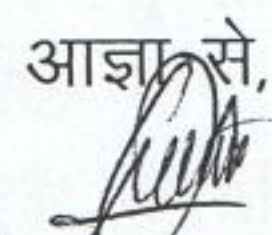
3. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का व्यय किसी अन्य मदों में कदापित न किया जाये।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग/व्यय शीतलहरी के प्रकोप को देखते हुए ही आवश्यकतानुसार किया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को नियमानुसार वापस किया जायेगा।
6. शासनादेश संख्या-2690/1-10-12(34)/03टी0सी0-1, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 की शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,  
  
 (एल0 वेंकटेश्वर लू)  
 सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या ५५० (1)1-10-2013-12(34)/03 -टी0सी0-04तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
- 2-सम्बन्धित मण्डलायुक्त/आयुक्त चित्रकूटघाम मण्डल बौदा ।
- 3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहतकीवेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बौदा।
- 7-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8-समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9-निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन।
- 10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
 ( विनोद कुमार शर्मा )  
 अनु सचिव।

-2-